Delhi Legislative Assembly

HOUSE COMMITTEE
TO CONSIDER THE ISSUES RELATING TO ALLOTMENT OF LAND UNDER THE 20 POINT PROGRAMME

PRELIMINARY REPORT

PRESENTED ON 26TH NOVEMBER, 2002

Delhi Legislative Assembly Secretariat, Delhi Vidhan Sabha Bhawan, Delhi – 54

Introduction

The House Committee to Consider the Issues Relating to Allotment of Land Under the 20 Point Programme was constituted pursuant to a resolution moved by the Hon'ble Chief Minister; and adopted by the House on 18th July'2002. Accordingly, Hon'ble Speaker constituted the Committee and laid down its terms of reference.

The Committee held its first meeting on 12th August'02 and subsequently on 16th August'02, 3rd September'02 and 23rd September'02. Detailed discussions were held with the Chief Secretary, Delhi, and senior officers of the Revenue Department.

The Committee decided to present its preliminary report in the Winter Session of the Assembly limiting itself to specific issues. Other issues, as laid down in the terms of reference were also taken up by the Committee and recommendations of the Committee on these would be finalized and presented to the House in the next session.

The Draft Report was considered and adopted by the Committee at its meeting held on 20th November 2002.

The Committee appreciates the cooperation of the Chief Secretary, Delhi, the Divisional Commissioner and other officers of the Revenue Department for providing all the information and documents requisitioned by the Committee. Special mention needs to be made of Shri Devesh Singh, ADM (West) whose knowledge of the subject was of great help to the Committee. The Committee also wishes to place on record its appreciation of the valuable assistance rendered by the Officers and Staff of the Assembly Secretariat during its meetings as also in the preparation of the Report.

Mukesh Sharma, MLA
Chairman.

Delhi.
Date:

Composition of the Committee

MEMBERS

1	Shri Mukesh Sharma	Chairman
2	Shri Nand Kishore Garg	Member
3	Shri Sahab Singh Chauhan	Member
4	Shri Charan Singh Kandera	Member
5	Shri Surender Kumar	Member
6	Shri Roop Chand	Member
7	Shri Ram Singh Netaji	Member

SECRETARIAT

1	Shri SK Sharma	Secretary
2	Shri Siddharath Rao	Joint Secretary
3	Shri C. Velmurugan	Superintendent

Report of the Committee

The 20 Point Programme was the brainchild of the late Prime Minister, Smt. Indira Gandhi that was initiated in 1974 with the noble intention of providing succour and relief to the landless and poor belonging to the weaker sections of the society. Under the Programme, land and residential plots were allotted to the deserving people throughout the country. Delhiites also benefited from this scheme and thousands of people belonging to the weaker sections were allotted agricultural land and residential plots out of the Gaon Sabha land in various villages of Delhi. It was one of the most revolutionary programme of the Government executed in Delhi by Ch. Prem Singh (presently Speaker of Delhi Assembly) who as Executive Councillor (Development) made remarkable contribution from 1983-1989 in implementing this programme in order to uplift the living standard of the poorest of the poor living in the National Capital of the country. The process was continuous one and various governments over a period of time utilized the programme to give benefit to the common man. The Programme finally wound up in 1989.

However, due to lack of clear-cut instructions and guidelines, the Programme was executed in an arbitrary and *ad-hoc* manner by the civil servants and the implementing authorities as a result of which the allottees are facing numerous problems even today. The gravity of the issue was such that the matter was raised on a number of occasions and at all possible forums without relief. The Assembly itself was seized of the matter numerous times and not a single session passed where the Members did not raise the matter.

Finally as a result of the discussion held on a Motion on 17th July'2002, the House at its sitting held on 18th July'2002 unanimously adopted a Resolution moved by the Hon'ble Chief Minister for constitution of a Seven Member House Committee to consider the issues relating to land allotted under the 20 Point Programme and other related matters.

The Hon'ble Speaker was pleased to constitute the present Committee and laid down the terms of reference for the Committee as follows:

"To ascertain the ground realities and to suggest measures for dealing with the issues related to:

i) Allotment of residential/agricultural land under 20 Point Programme conferment of title/rights in respect thereof and protection of such rights during acquisition and consolidation of land;

ii) Vesting of land in Gaon Sabha under Section 81 of the Delhi Land Reform Act, 1954;

iii) Consolidation of land holdings in Delhi to address the need for extension of the Lal Dora/Abadi in villages on account of expansion of families; and

iv) Other related issues coming to the notice of the Committee during the deliberations on the issues enumerated herein above."

The Committee held its first meeting on the 12th August'02 to decide its future course of action. The Members expressed their views on the subject and decided to seek the opinion/ suggestions/ grievances of the general public through advertisements in the national dailies. The Committee received overwhelming response to the public notice and these representations gave an idea of the mammoth task for which the Committee was seeking a solution. The representations/suggestions received by the Committee can be broadly classified as follows:

- Persons who were allotted land under the 20 Point Programme, but could not get possession.
- People who are in possession but entries regarding ownership rights were not made in the revenue records.
- Lack of civic amenities.
- Suggestions/complaints against misuse of Section 81 of the DLR Act.
- Compensation claims.
- Persons who were allotted land/plots but later dispossessed or forcibly evicted.
- Cases not covered under the 20 Point Programme.
- Extension of Laldora and abadi.
- Irregularities in chakbandhi.

In its first meeting with the Departmental Representatives held on 16th August'02 the Committee discussed and heard the views of the Chief Secretary of the Delhi Government and senior officers of the Revenue, Power, DDA, MCD, Jal Board, TRANSCO and DSIDC on the issue. Thereafter the Committee held discussions with the Divisional Commissioner and his officers on 3rd September and 23rd September'02.

I Grant of Ownership Rights:

The Committee after deliberations with the Departmental Representatives was of the view that the Programme, whose intentions were indeed noble, had not been executed in a systematic manner. Various authorities, issued numerous orders and guidelines over a period of time, which mostly appear to contradict each other or supersede the earlier orders thereby creating more confusion.

The Chief Secretary informed the Committee that attempts to streamline the process was undertaken through various enquiry Committees. Finally, the Deputy Commissioners of the Revenue Districts were entrusted with the task to probe the irregularities in allotment of residential plots. The Divisional Commissioner has stated that they were able to cover 89 villages of the total of 112 villages where allotment had been made.

The Divisional Commissioner informed that in Delhi, the Gaon Sabha land, which cannot be called government land strictly, was allotted to the people and this was one major cause of the problems linked with the Programme. The Committee was further informed that prior to 1976 there were no specific statutory provisions for the allotment of plots. The allotments after 1976 were made through an amendment in the Delhi Panchayat Raj Rules.

In 1982 guidelines for determining eligibility of proposed allottees were issued vide order of the ADM (Development) dated 18.8.1982 which *inter alia* provided as follows:

" i. Applicant(s) should not be in possession of any land or house-site either in his own name or in the name of any of his family members dependent upon him or/should be in possession of inadequate housing as determined by the Deputy director (Panchayat). Priority in allotment of house-sites should in any case be given to those not in possession of land or house site.

ii. Monthly income of the applicant should not exceed Rs. 750/- per month. (Later raised to Rs. 1500/- p.m.)

iii. The area of the plot allotted should not exceed 80 square yards in case of house-sites.

iv. Applicant should be resident of the concerned village for a period of 4/5 years.

v. These guidelines will apply to the distribution of agricultural land and land meant for house-sites and have the approval of the Lt. Governor, Delhi."

Detailed instructions regarding the procedure to be followed for maintenance were also laid down. The Deputy Director (Panchayat) was supposed to open a separate file on each case of allotment. The File was to contain the following particulars:

i. The resolution(s) in original of the Gaon Panchayat and Gaon Sabha passed in this regard.
ii. The list of proposed allottees.
iii. Income certificate obtained for each allottee from the revenue agency as also affidavit of each allottee regarding his income.
iv. A certificate from the Enquiring Officer i.e. Panchayat Secretary that the allottee is a resident of the village supported by ration card details and that he satisfies the other criteria of the allotment policy.
v. A certificate from the *Patwari* that the allottee does not own any other agricultural land or residential plot as the case may be in the village in his name or in the name of any member of his family dependant upon him.
vi. A copy of the allotment order passed by the Deputy Director (Panchayat) under Rule 178 (2) of the Delhi Panchayat Raj (Amendment) Rules, 1976 in the case of house sites must have been kept on record.
vii. One copy of the above documents to be sent to the ADC (P) invariably.

The file in which the Deputy Director (Panchayat) processed the case was to be kept in the personal custody of the BDO concerned.

The Divisional Commissioner has reported that these instructions had not been followed and most of the records were not available. The Divisional Commissioner also pointed out that contrary to the provisions of the Panchayat Rules which provided for perpetual lease, in many villages allotments had been made for a period of five or nine years. As this time-period has now lapsed the allotments are to be regularized i.e. the lease is to be converted into a perpetual lease.

The Divisional Commissioner in his report has recommended that claim of only those allottees who can support their claim with the following documents, should be considered for regularization of allotments:

1. Proper self-identification, LR 37
2. Entry in *girdawari*, *khatauni* even for a period of one year.
3. Copy of the *patta*/allotment order.

However in his report he has also mentioned that out of the 12725 allottees of residential plots that were surveyed only in 3352 cases mutation had been recorded.

Therefore, if entries in revenue records were insisted upon, very few cases would be eligible for regularization.

In the cases of regularization of allotment of agricultural plots also the Department has been dragging its feet. The Divisional Commissioner has agreed that the allottees of agricultural plots can be admitted as *bhumidhars* under Section 74(4) of the Delhi Land Reforms Act.

Official apathy and non-availability or non-maintenance or records cannot be an excuse to deprive the allottees of their rights. The Revenue Department should make all out efforts to trace the genuine allottees even in villages, which have not been surveyed yet and regularize their allotments. The enquiry by the Deputy Commissioners was limited to the allotment of residential plots and they had done a commendable job in covering 89 out of 112 villages. But the task remains unfinished. Besides undertaking the survey of the left out villages the Department should also now cover the allotments of agricultural land under the 20 Point Programme on a war footing. The recent decision of the Government to place the work of the Development and Panchayat Department under the Divisional Commissioner, is a welcome move and should help in better coordination among the Officers.

The Committee is of the view that allotment of all original allottees of agricultural plots who are in physical possession be regularized by summary mutation and necessary entries in the revenue records be made immediately.

In the case of allottees of residential plots, the committee is of the view that those allottees who are in physical possession and have supported their claim with the original allotment order/patta/LR-37 during the One Man Enquiry Committee survey should be regularised after making necessary entries in the revenue records.

The Committee also recommends that in villages where consolidation process is underway or contemplated, the allottees should not be deprived of their rights irrespective of the fact whether entries in revenue records have been made or not.

The Committee was informed that the Government and DDA were acquiring land/plots allotted under the Programme and the compensation in lieu of the acquired land was being paid to the Gaon Sabha instead of the allottees. Surprisingly, this was happening in spite of the directions of the then Lt. Governor of Delhi, Shri Jagmohan. Shri Jagmohan in his note dated 22.1.83 addressed to the Vice Chairman DDA had directed the VC (DDA) to ensure that land allotted under 20 Point Programme or any other scheme of the Delhi Administration or Central Government was not to be taken over by the DDA. In cases where such land had been acquired, DDA was to return it to the Development Department for proper allotment to the eligible harijans/allottees.

The Committee is of the view that these directions should be strictly adhered to. In circumstances where acquisition has already been done or where acquisition is unavoidable, the Government should ensure that the agency responsible, provides alternative agricultural land/residential plots or makes adequate monetary compensation in lieu of the acquired land.

Deliberations of the Committee on other issues such as people deprived of possession, amendment of Section 81 of the DLR Act, extension of *Laldora and abadi* etc., are inconclusive and the Committee expects to present a comprehensive Report on these issues in the next session of the House.

II Civic Amenities:

The attitude of the civic departments in extending the basic amenities such as power, water and sewerage to the colonies where plots were allotted under the 20 Point Programme is also not encouraging. This attitude is surprising because the then Deputy Commissioner, Shri R.S. Sethi had issued an order dated 25.4.85 which stated that these colonies were deemed to be within the *Laldora* and therefore civic departments were to provide amenities such as water supply and electricity.

Power Department: The Power Department had submitted a list of the One Hundred and Twelve villages where plots were allotted for residential purposes. Out of these only thirteen colonies are completely electrified, four colonies are partially electrified and in eleven colonies the electrification work is in progress. As the work of distribution of electricity has now been privatized, the Committee was of the view that the Government should impress upon the Distribution Companies to take up the electrification of these colonies on a priority basis. Moreover the Committee was also concerned about the fate of the decision of the erstwhile Delhi Vidyut Board to exempt the genuine allottees from payment of development charges, after its privatization. The concern of the Committee was conveyed to the Department in its meeting held on 16th September'02.

The Committee was informed by the Power Department vide letter dated 29th August'02 that the Distribution Companies had stated that the electrification of the colonies and the development charges could not be done on different lines for the colonies and it was for the government to give any assistance to the allottees under the said programme.

The Committee is of the view that the Government is bound by its earlier decision and promise to exempt the allottees from payment of development charges. Therefore, the expenditure on this head is to be borne by the Government and the genuine allottees as mentioned in the order of the Additional Chief Engineer (Commercial) Delhi Vidyut Board dated 28.7.2000 should be exempted from payment of development charges. Moreover, the Distribution companies should also be asked to expedite the electrification work of the left out colonies.

Delhi Jal Board:

The Delhi Jal Board had informed that it is providing water supply in 46 colonies and in 16 colonies the work is under progress in different stages. The Board stated that it had not been able to provide water in 30 colonies due to infeasibility and in 5 colonies the work has been held up due to non-availability of authentic maps.

The Committee is of the view that the pending work in 16 colonies should be executed in a time-bound manner. The feasibility of supplying drinking water to the 30

colonies, which is stated to be presently infeasible, should be reviewed and alternative arrangements need to be taken at the earliest. Similarly, the five colonies viz., Bakoli, Tikri Khurd, Khera Kalan, Bor Garg and Hiranki which are deprived of drinking water due to want of authentic maps should be supplied water immediately. The Jal Board should attempt to procure the details from the concerned departments such as the Revenue Department, Irrigation and Flood Control.

The Committee is also of the view that development charges for providing water connections should not be levied from the original allottees. The Chief Executive Officer, Delhi Jal Board should personally review and monitor the progress achieved by the Board on the above recommendations.

The Committee is of the view that as the land/plots allotted under the 20 Point Programme are deemed to be falling within the *laldora*, all the civic amenities which are meant for the territory within the *laldora* including appointment of *safai karamcharis* by the Municipal Corporation of Delhi be provided.

* * * * *

SUMMARY OF RECOMMENDATIONS:

The Committee makes the following recommendations:

1. Allotment of all original allottees of agricultural plots who are in physical possession be regularized by summary mutation and necessary entries in the revenue records be made.

2. Allotment of those allottees of residential plots who are in physical possession and have supported their claim with the original allotment order/patta/LR-37 during One Man Enquiry Committee survey should be regularised after making necessary entries in the revenue records.

3. The Committee also recommends that in villages where consolidation process is underway or contemplated, the allottees should not be deprived of their rights irrespective of the fact whether entries in revenue records have been made or not.

4. In keeping with the directions of the then Lt. Governor, Shri Jagmohan, (Note dated 22.1.1983) land allotted under the 20 Point Programme should not be acquired. In circumstances where acquisition has already been done or where acquisition is unavoidable, the Government should ensure that the agency responsible, provides alternative agricultural land/residential plots or makes adequate monetary compensation in lieu of the acquired land.

6. The electricity Distribution Companies should be asked to expedite the electrification work of those colonies where residential plots had been allotted under 20 Point Programme and where the electrification has not been taken up so far.

6. All genuine allottees should be exempted from payment of development charges for electrification. Expenses in this regard should be borne by the government, as was the practice prior to privatization.

7. The Delhi Jal Board should expedite the work of providing safe drinking water to all residents of the colonies where plots were allotted for residential purposes under the 20 Point Programme and development charges for providing water connections should not be levied from the original allottees. The Chief Executive Officer should personally monitor the progress.

8. As the land/plots allotted under the 20 Point Programme are deemed to be falling within the *laldora*, all the civic amenities which are meant for the territory within the *laldora* including appointment of *safai karamcharis by the* Municipal Corporation of Delhi be provided

A monthly action taken note on the progress achieved with regard to the aforesaid works should be submitted by the concerned Departments to the Committee till the completion of the work which be accomplished within a period of one year.

/Mukesh Sharma
Chairman

सत्यमेव जयते

दिल्ली विधान सभा

20 सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत भूमि आबंटन से संबंधित मुद्दो पर विचार करने हेतु गठित
सदन की समिति

प्रारंभिक प्रतिवेदन

दिनांक 26 नवम्बर, 2002 को परस्तुत

विधान सभा सचिवालय, विधान सभा भवन, पुराना सचिवालय, दिल्ली-110 054

प्रस्तावना

20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत भूमि आबंटन से संबंधित मुद्दों पर विचार करने हेतु सदन की समिति का गठन माननीया मुख्य मंत्री द्वारा प्रस्तावित तथा दिनांक 18 जुलाई, 2002 को सदन द्वारा पारित एक संकल्प के अनुसरण में किया गया था । तदनुसार माननीय अध्यक्ष महोदय ने समिति का गठन किया और इसके लिए नियम एवं शर्तें निर्धारित की ।

समिति की प्रथम बैठक 12 अगस्त, 2002 तथा तद्उपरान्त 16 अगस्त, "2002 3 सितम्बर, 2002 और 23 सितम्बर, 2002 को सम्पन्न हुई । इनमें दिल्ली के मुख्य सचिव और राजस्व विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विस्तृत विचार-विमर्श हुआ ।

समिति ने विधान सभा के शीतकालीन सत्र में अपना प्रारंभिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का निर्णय लिया । शर्तो में निर्धारित अन्य मुद्दे पर भी समिति द्वारा विचार-विमर्श किये गये थे और इन पर समिति की सिफारिशों को अन्तिम रूप दिया जाएगा और सदन के आगामी सत्र में प्रस्तुत किया जाएगा ।

समिति ने दिनांक 20 नवम्बर, 2002 को सम्पन्न अपनी बैठक में प्रारूप प्रतिवेदन पर विचार किया और स्वीकृत किया ।

समिति दिल्ली के *मुख्य सचिव, मण्डलायुक्त* के सहयोग तथा समिति द्वारा मांगी गई सभी जानकारी और दस्तावेज प्रदान करने हेतु राजस्व *विभाग के अन्य अधिकारियों* की प्रशंसा करती है । *श्री देवेश सिंह, अतिरिक्त जिलाधीश(पश्चिम)* के योगदान की समिति विशेष उल्लेख करती है, जिनके विस्तृत जानकारी से समिति को काफी सहायता मिली । समिति की बैठकों के दौरान तथा इसके प्रतिवेदन को तैयार करने में *विधान सभा सचिवालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों* द्वारा दिये गये महत्वपूर्ण सहयोग की भी प्रशंसा करती है ।

मुकेश शर्मा, विधायक
सभापति

दिल्ली
दिनांक : 20 नवम्बर, 2002

समिति का गठन

		सदस्य
1.	श्री मुकेश शर्मा	सभापति
2.	श्री नन्द किशोर गर्ग	सदस्य
3.	श्री साहब सिंह चौहान	सदस्य
4.	श्री चरण सिंह कण्डेरा	सदस्य
5.	श्री सुरेन्द्र कुमार	सदस्य
6.	श्री रूप चन्द	सदस्य
7.	श्री राम सिंह नेताजी	सदस्य

सचिवालय

1.	श्री एस० के० शर्मा	सचिव
2.	श्री सिद्धार्थ राव	संयुक्त सचिव
3.	श्री सी० वेलमुरूगन	अधीक्षक

समिति का प्रारंभिक प्रतिवेदन

20 सूत्री कार्यक्रम पूर्व प्रधान मंत्री स्व० श्रीमती इंदिरा गाँधी के दिमाग की उपज थी और समाज के कमजोर वर्गों से संबंधित गरीब और भूमिहीनों को सहायता और मदद प्रदान करने की श्रेष्ठ भावना के साथ इसे 1974 में आरंभ किया गया था। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत वांछित लोगों को देश भर में भूमि और आवासीय प्लाटों का आबंटन किय गया था। दिल्ली वासियों को भी इस योजना का लाभ मिला और दिल्ली के विभिन्न गांवों में कमजोर वर्गों से संबंधित हजारो लोगों को ग्राम सभा भूमि में से कृषि भूमि और आवासीय प्लाटों का आबंटन किया गया था । यह दिल्ली में सरकार का एक अत्यधिक क्रांतिकारी कार्यक्रम था, जिसे चौ. प्रेम सिंह (वर्तमान अध्यक्ष,दिल्ली विधान सभा), जो, उस समय कार्यकारी पार्षद (विकास) थे, ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के गरीब से गरीब लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने के उददेश्य से 1983-1989 के बीच इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन में यादगार भूमिका निभाई ।यह प्रक्रिया जारी रही तथा विभिन्न सरकारों ने जन साधरण को लाभ देने हेू लम्बी अवधि तक कार्यक्रम का उपयोग किया । कार्यक्रम अन्ततः 1989 में समाप्त हुआ ।

तथापि स्पष्ट अनुदेशों और दिशा-निर्देशों के अभाव के कारण लोक सेवकों तथा कार्यान्वित करने वाले प्रधिकरणों ने कार्यक्रम को मनमाने ढंग से तथा तदर्थ व्यवहार में निष्पादित किया । जिसके परिणामस्वरूप आबंटी आज भी काफी समस्याओं का सामना कर रहें है । विषय की गंभीरता ऐसी थी कि मामले को अनेक अवसरों पर सभी संभंव मंचों पर बिना समाधान के उठाया गया । विधान सभा में भी इस मामले को कई बार उठाया गया तथा कोई भी ऐसा सत्र नहीं होगा, जिसमें सदस्यों द्वारा इस विषय पर चर्चा न की गई हो ।

अन्ततः 17 जुलाई, 2002 को एक प्रस्ताव पर हुई चर्चा के परिणाम स्वरूप 20 सूत्री कार्यक्रम और अन्य संबंधित मामलों के अन्तर्गत आबंटित भूमि से संबंधित मुद्दे पर विचार करने हेतू सात सदस्यों की सदन की समिति के गठन हेतु माननीया मुख्यमंत्री द्वारा प्रस्तुत एक संकल्प को सदन ने दिनांक 18 जुलाई, 2002 को सम्पन्न अपनी बैठक में सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया । माननीय अध्यक्ष महोदय ने वर्तमान समिति का गठन किया और समिति के लिए निम्नलिखित नियम व शर्ते निर्धरित कीः-

(i) बीस सूत्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत आबंटित की गई भूमि का मालिकाना हक प्रदान करना एवं भूमि अधिग्रहण एवं चकबन्दी के दौरान उनके ऐसे अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करना ।

(ii) दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम, 1954 की धारा 81 के अंतर्गत ग्राम सभा में भूमि निहित करने सम्बन्धी ।

(iii) परिवारों में बढ़ोतरी हो जाने के कारण गांव के लाल डोरा/आबादी का विस्तार करने की दृष्टि से दिल्ली में भूमिधरों की चकबन्दी करना ।

(iv) कोई अन्य मामले जो उपर्युक्त दर्शाये गये मामलों पर विचार विमर्श के दौरान समिति की जानकारी में आये ।

समिति ने दिनांक 12 अगस्त, 2002 को सम्पन्न अपनी प्रथम बैठक में भविष्य में अपनी कार्रवाई के विषय का निर्णय किया । सदस्यों ने विषय पर विचार व्यक्त किये और राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्रों में विज्ञापन के माध्यम से जन साधारण से विचार/सुझाव/शिकायतें मंगाने का निर्णय लिया । समिति को जन सूचना का अप्रत्याशित जवाब प्राप्त हुआ तथा समिति जिसका हल निकालना चाहती थी उसके लिए इन प्रतिनिधित्वों ने अत्याधिक कार्य करने का विचार दिया । समिति को प्राप्त हुए प्रतिनिधित्वों/सुझावों को विस्तृत रूप में निम्नलिखित अनुसार वर्गीगृत किया जा सकता है: -

- ❖ जिन लोगों को 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत भूमि आबंटित की गई, किन्तु उनको कब्जा प्राप्त नहीं हो सका ।

- ❖ वे लोग जिनके पास कब्जे है, किन्त राजस्व रिकार्डो में मालिकाना हक से संबंधित प्रविष्टि नहीं की गई थी ।

- ❖ नागरिक सुविधाओं का अभाव ।

- ❖ डी॰एल॰आर॰ अधिनियम की धारा 81 का गलत प्रयोग करने के विपरीत सझाव/शिकायतें ।

- ❖ क्षतिपूर्ति के दावे ।

- ❖ वे लोग जिन्हें भूमि/प्लॉटों का आबंटन किया गया था, किन्तु बाद में बेदखल कर दिया गया या जबरदस्ती निकाल दिया गया ।

- ❖ 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत शामिल न होने वाले मामलें ।

- ❖ लालडोरा तथा आबादी का विस्तार ।

- ❖ चकबन्दी की अनियमितताएं ।

समिति ने विभागीय प्रतिनिधियों के साथ दिनांक 16 अगस्त, 2002 को सम्पन्न अपनी प्रथम बैठक मे विचार-विमर्श किया तथा मामले पर दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव तथा राजस्व, उर्जा, डी॰डी॰ए॰, एम॰सी॰डी॰, जल बोर्ड, ट्रांस्को (TRANSCO) और डी॰एस॰आई॰डी॰सी॰ के वरिष्ठ अधिकारियों के विचार सुने । इसके बाद समिति ने दिनांक 3 सितम्बर और 23 सितम्बर, 2002 को मण्डलायुक्त और उनके अधिकारियों से विचार-विमर्श किया ।

<u>मालिकाना हक की स्वीकृति:</u>

विभागीय प्रतिनिधियों से विचार-विमर्श के उपरांत समिति का विचार था कि कार्यक्रम की भावनाएं वास्तव में श्रेष्ठ थी किन्तु इसका कार्यान्वयन सही ढंग से नहीं किया गया । विभिन्न प्राधिकरणों ने काफी समय तक काफी संख्या में आदेश तथा दिशा निर्देश जारी किए जो अधिकतर एक दूसरे से विरोधाभास करते या पूर्व के आदेशों को समाप्त करते थे जिसके कारण काफी दुविधा उत्पन्न हो रही है ।

मुख्य सचिव ने समिति को सूचित किया कि विभिन्न जांच समितियों के माध्यम से प्रक्रिया को सरल बनाने के प्रयास किए गए थे । अन्ततः राजस्व जिलों के उपायुक्तों को आवासीय प्लॉटों के आबटन में अनियमितताओं की जांच का कार्य सौंपा गया । मण्डलायुक्त ने बताया कि वे कुल 112 गांव, जहां आबंटन किया गया था, में से 89 गांवों का ही सर्वेक्षण करने में सक्षम हुए ।

मण्डलायुक्त ने जानकारी दी कि दिल्ली में ग्राम सभा भूमि, जिसे सही अर्थ में सरकारी भूमि नहीं कहा जा सकता, लोगों को आबंटित की गई और यह कार्यक्रम से जुड़ी समस्याओं के प्रमुख कारणों में से एक है । समिति को आगे सूचित किया गया कि 1976 से पूर्व प्लॉटों के आबंटन हेतु कोई निश्चित वैधानिक प्रावधान नहीं थे। 1976 के बाद आबंटन दिल्ली पंचायत राज नियमो मे संशोधन द्वारा किए गये।

1982 में प्रस्तावित आबंटियों की पात्रता को निर्धारित करने हेतु दिशा निर्देश दिनांक 18/08/1982 को ए॰डी॰एम॰ (विकास) के आदेश द्वारा जारी किए गए जो निम्नलिखित अनुसार है: -

"1. आवेदक के अपने नाम या उस पर निर्भर उसके परिवार के सदस्यों के किसी नाम में किसी भूमि या आवास स्थल का स्वामित्व नहीं होना चाहिए अथवा आवेदक उप निदेशक (पंचायत) द्वारा निर्धारित अनुसार अपर्याप्त आवास की स्थिति में होना चाहिए । आवास स्थल के आबंटन में प्राथमिकता किसी मामले में उनको दी जानी चाहिए जिनके पास भूमि या आवास स्थल का स्वामित्व नहीं है ।
2. आवेदक की मासिक आय 750/- रूपये प्रति मास से अधिक नहीं होनी चाहिए । (बाद में बढ़ाकर 1500/- रूपये प्रति मास)
3. आवास स्थत के मामले में आबंटित किये गये प्लॉट का क्षेत्र 80 वर्ग गज से अधिक नहीं होना चाहिए ।
4. ये दिशा निर्देश कृषि भूमि के वितरण तथा आवास स्थल हेतु भूमि पर लागू होंगे और इनको दिल्ली के माननीय उपराज्यपाल का अनुमोदन है ।

प्रक्रिया के संबंध में रखरखाव हेतु अनुकरण करने के लिए विस्तृत अनुदेश भी निर्धारित किए गए थे । उप-निदेशक (पंचायत) के लिए आवाश्यक था कि वह आबंटन के प्रत्येक मामले पर अलग फाईल खोले । फाईल में निम्नलिखित विवरण रखना आवश्यक था: -

(i) इस संबंध में ग्राम पंचायत और गांव सभा के पारित मूल संकल्प ।
(ii) प्रस्तावित आबंटियों की सूची ।
(iii) प्रत्येक आबंटी हेतु राजस्व अभिकरण से प्राप्त आय प्रमाण-पत्र के साथ प्रत्येक आबंटी का अपनी आय के संबंध में शपथ-पत्र ।
(iv) जाँच अधिकारी अर्थात् पंचायत सचिव से प्रमाण-पत्र कि आबंटी गांव का निवासी है जो राशन कार्ड विवरण से प्रमाणित हो और वह आबंटन नीति के अन्य मानदण्डों को पूरा करता है ।
(v) पटवारी से प्रमाण-पत्र कि आबंटी के स्वयं के नाम या उस पर निर्भर परिवार के सदस्यों में किसी के नाम से गांव में कोई अन्य कृषि भूमि या आवासीय प्लॉट, जैसा भी मामला हो, नहीं है ।
(vi) आवास स्थल के मामले में दिल्ली पंचायत राज (संशोधन) नियम, 1976 के नियम 178 (2) के अन्तर्गत उप निदेशक द्वारा पारित आबंटन आदेश की एक प्रति रिकॉर्ड में अवश्य रखी जाए ।
(vii) उपर्युक्त दस्तावेजों की एक प्रति निरन्तर ए॰डी॰सी॰(पी॰) को भेजी जाये ।

जिस फाइल में उप निदेशक (पंचायत) मामले पर कार्यवाही करता है उसे संबंधित बी॰डी॰ओ॰ की व्यक्तिगत देख-रेख में रखा जाये ।

मण्डलीय आयुक्त ने सूचित किया कि इन अनुदेशों का पालन नहीं किया गया तथा अधिकतर रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं हैं । मण्डलीय आयुक्त ने यह भी उजागर किया कि पंचायत नियम, जो चिरस्थायी पट्टा प्रदान करते है, के प्रावधानों के विपरीत काफी गांवों में आबंटन पांच या नौ वर्षो की अवधि हेतु किये गये थे । क्योंकि अब यह समयावधि समाप्त हो चुकी है, आबंटनों को नियमित किया जाना अर्थात् पट्टे को चिरस्थायी पट्टे में बदल दिया जाना आवश्यक है ।

मण्डलीय आयुक्त ने अपने प्रतिवेदन में सिफारिश की है कि जो आबंटी अपने दावों को निम्नलिखित दस्तावेजों से प्रमाणित करते है केवल उनके दावों पर ही आबंटन के नियमितिकरण हेतु विचार-विमर्श किया जाये: -

1. उचित स्वयं पहचान और एल० आर० 37
2. गिरदावरी, खतौनी में कम से कम एक वर्ष की अवधि हेतु प्रविष्टि ।
3. पट्टा/आबंटन आदेश की प्रति ।

तथापि, अपने प्रतिवेदन में उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि आवासीय प्लॉटों के 12725 आबंटियों, जिनका सर्वेक्षण किया गया में से केवल 3352 मामलों में हीं राजस्व रिकॉर्ड में प्रवृष्टि किया गया था । इसलिए यदि राजस्व रिकॉर्ड में प्रविष्टि पर बल दिया जाये तो नियमितिकरण हेतु बहुत कम मामले वैद्य होंगे ।

कृषि प्लाटों के आबंटन के नियमितिकरण के मामलों में भी विभाग अपने कदम रोक रहा है । मण्डलीय आयुक्त सहमत है कि कृषि प्लाटों के आबंटियों को दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम की धारा 74 (4) के अन्तर्गत भूमिधर के रूप में स्वीकार किया जा सकता है ।

आबंटियों को उनके अधिकार से वंचित करने हेतु, कार्यालय उदासीनता और रिकॉर्ड के उपलब्ध न होने या सुरक्षित न रखने को बहाना नहीं बनाया जा सकता है। राजस्व विभाग को उन गांवों में भी जहां अभी तक सर्वेक्षण नही किया गया है, असली आबंटियों का पता लगाने हेतु समस्त प्रयास करने चाहिए और उनके आबंटन नियमित करें ।

उपायुक्तों द्वारा की गई जाँच आवासीय प्लाटों के आबंटन तक सीमित थी और उनहोंने 112 गाँवों में से 89 गाँवों का सर्वेक्षण करने में सराहनीय कार्य किया। किन्तु कार्य शेष रहता है । शेष गाँवों के सर्वेक्षण करने के अलावा विभाग अब 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत कृषि भूमि के आबंटन को भी युद्ध स्तर पर कवर करे । विकास तथा पंचायत विभाग के कार्य को मण्डलीय आयुक्त के अधीन रखने का सरकार का हाल ही का निर्णय भी स्वागत योग्य कदम है और निर्णय अधिकारियों में बेहतर समनवय से कार्य करने में सहायता करेगा ।

समिति का विचार था कि कृषि योग्य भूमि के आबंटियों के उन सभी आबंटनों को,जिनके पास वास्तविक कब्जा है, को संक्षिप्त परिवर्तन (Summary Mutation) और राजस्व रिकॉर्डो में आवश्यक प्रविष्टि करने के बाद नियमित किया जाए ।

आवासीय प्लाटों के संबंध में समिति का यह विचार है कि उन सभी आबंटियों को,जिनके पास वास्तविक कब्जा है और वे आपने दावे एक सदस्यीय समिति के सर्वेक्षण के दौरान मूल आबंटन आदेश/पट्टा /एल०आर०-37 से प्रमाणित कर चुके है, के आबंटनों को राजस्व रिकॉर्डो में आवश्यक प्रविष्टि करने के बाद नियमित किया जाए ।

समिति यह भी सिफारिश करती है कि जिन गांवें में चकबंदी प्रक्रिया चल रही है अथवा अपेक्षित है, वहां इस तथ्य का ध्यान किये बिना कि राजस्व रिकार्ड में प्रविष्टि की गई है या नहीं, आबंटियों को उनके अधिकारों से वंचित नहीं किया जाये ।

समिति को सूचित किया गया कि सरकार और दिल्ली विकास प्राधिकरण ने कार्यक्रम के अन्तर्गत आबंटित भूमि/प्लॉटों का अधिग्रहण किया और अधिग्रहित भूमि के बदले क्षतिपूर्ति का भुगतान आबंटियों के बजाय ग्राम सभा को किया है । आश्चर्यजनक रूप से, यह तत्कालीन दिल्ली के उपराज्यपाल श्री जगमोहन के निर्देशों के बावजूद घटित हुआ । श्री जगमोहन ने उपाध्यक्ष, दिल्ली विकास प्राधिकरण को संबोधित दिनांक 22.1.1983 की टिप्पणी में उपाध्यक्ष, दिल्ली विकास प्राधिकरण को यह सुनिश्चित करने का निदेश दिया कि 20 सूत्री कार्यक्रम या दिल्ली प्रशासन या केन्द्रीय सरकार की किसी अन्य योजना के अन्तर्गत आबंटित भूमि का दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा अधिग्रहण नहीं किया जाए । जिन

मामलों में ऐसी भूमि का अधिग्रहण किया जा चुका था दिल्ली विकास प्राधिकरण को यह पात्र हरिजन/आबंटियों को उचित आबंटन हेतु विकास विभाग को वापस लौटाना था ।

समिति का यह विचार था कि इन निदेशों का सख्ती से पालन किया जाये। ऐसी परिस्थितियों में जहां अधिग्रहण पहले ही हो चुका है या जहां अधिग्रहण करना अति आवश्यक है, सरकार यह सुनिश्चित करें कि जिम्मेदार एजेंसी वैकल्पिक कृषि भूमि/आवासीय प्लॉट प्रदान करें या अधिग्रहित भूमि के बदले प्रयाप्त आर्थिक क्षति पूर्ति करे ।

जिन लोगों को कब्जे नहीं दिए गए, डी॰ एल॰ आर॰ अधिनियम की धारा 81 में संशोधन, लाल डोरा तथा आबादी के विस्तार आदि विषयों पर समिति का विचार विमर्श पूर्ण नहीं हुआ । समिति सदन के आगामी सत्र में इन विषयों पर व्यापक प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की आशा करती है ।

नागरिक सुविधाएं :

वह कालोनिया जहां 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत प्लॉट आबंटित किये गये थे, में विद्युत, जल और सीवर जैसी आधार भूत सुविधाएं प्रदान करने में नागरिक विभागों का व्यवहार भी प्रोत्साहित करने वाला नहीं है । यह व्यवहार आश्चर्यजनक है क्योंकि तत्कालीन उपायुक्त, श्री आर एस सेठी ने दिनांक 25/04/85 को एक आदेश जारी किया था जिसमें कहा था कि *इन कालोनियों को लाल डोरा के अन्दर समझा जाये* और इसलिए नागरिक विभागों को जल आपूर्ति तथा विद्युत जैसी सविधाएं प्रदान करनी थी ।

विद्युत विभाग :

विद्युत विभाग ने उन 112 गांवों की सूची दी है जहां आवासीय उद्देश्य हेतु प्लाटों का आबंटन किया गया था । इनमें से मात्र 13 कालोनियों का पूर्णतया विद्युतीकरण तथा चार कालोनियों क आंशिक विद्युतीकरण किया गया है तथा ग्यारह कालोनियों में विद्युतीकरण का कार्य प्रगति पर है । क्योंकि विद्युत-वितरण का अब निजीकरण हो गया है, समिति का विचार था कि सरकार इन कालोनियों में विद्युतीकरण को प्राथमिकता के आधार पर करने हेतु वितरण कम्पनियों पर दबाव बनाए । फिर भी इसके निजीकरण के उपरांत, समिति असली आबंटियों को विकास प्रभारों के भुगतान से मुक्त करने के पूर्व दिल्ली विद्युत बोर्ड के निर्णय के भविष्य के बारे में भी चिन्तित है । दिनांक 16 सितम्बर, 2002 को सम्पन्न समिति की बेठक मे समिति की चिन्ता से विभाग को अवगत कराया गया ।

दिनांक 29 अगस्त, 2002 के पत्र के जरिए ऊर्जा विभाग द्वारा समिति को सूचित किया गया कि वितरण कम्पनियों ने कहा है कि कालोनियों के विद्युतीकरण तथा विकास प्रभारों को कालोनियों हेतु भिन्न आधारों पर नहीं किया जा सकता तथा सरकार उपर्युक्त कर्यक्रम के अनतर्गत आबंटियों को केई सहायता प्रदान करें ।

समिति का विचार है कि सरकार विकास प्रभारों के भुगतान से आबंटियों को मुक्त करने के अपने पूर्व निर्णय और वचन द्वारा बाध्य है । इसलिए इस शीर्ष में किया गया व्यय सरकार द्वारा वहन किया जाये। अतिरिक्त मुख्य अभियंता (वाणिज्य) दिल्ली विद्युत बोर्ड दिनांक 28/07/2000 के आदेश में उल्लेख अनुसार असली आबंटियों को विकास प्रभारों के भुगतान से मुक्त किया जाये । इसके अतिरिक्त वितरण कम्पनियों को शेष कालोनियों को विद्युतीकरण का कार्य शीघ्र पूरा करने हेतु कहा जाए।

दिल्ली जल बोर्ड :

दिल्ली जल बोर्ड ने सूचित किया है कि वह 46 कालोनियों में जल आपूर्ति प्रदान कर रहा है और 16 कालोनियों में कार्य विभिन्न स्तरों पर प्रगति में हैं । बोर्ड ने कहा है कि वह 30 कालोनियों में असंमान्यता के कारण जल प्रदान करने में असक्षम हुआ और 5 कालोनियों में प्रमाणिक नक्शे उपलब्ध न होने के कारण कार्य रोका गया है ।

समिति का विचार है कि 16 कालोनियों में लंबित कार्य समयबद्ध तरीके में पूरा किया जाये। तीस कालोनियों में पानी आपूर्ति की व्यवहार्यता का जहा वर्तमान में अव्यवहार्य कहा गया है, पुनरावलोकन करके जल्द से जल्द वैकल्पिक प्रबन्ध करने की आवश्यकता है । इसी प्रकार से पांच कालोनियां अर्थात् बकौली, टिकरी खुर्द, खेड़ा कलां, भोरगढ, हिरनकी जो प्रमाणिक नक्शे न होने के कारण पीने के पानी से वंचित है, को तुरंत पानी की आपूर्ति की जाये । जल बोर्ड संबंधित विभाग जैसे राजस्व वा सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण से विवरण प्राप्त करने के प्रयास करें ।

समिति का यह भी विचार है कि पानी का कनैक्शन प्रदान करने हेतु असली आबंटियों पर विकास प्रभार नहीं लगाया जाए । मुख्य कार्यकारी अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उपर्युक्त सिफारिशों के अनुसार समीक्षा करे तथा बोर्ड द्वारा इन सभी कालोनियों में पीने के पानी की आपूर्ति करने में की गई प्रगति का निरीक्षण करें ।

समिति का यह भी विचार है कि चूंकि 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत आवंटित भूमि/प्लॉट लाल डोरा का हिस्सा माना जाता है, इसलिए दिल्ली नगर निगम द्वारा सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति के साथ-साथ समस्त नागरिक सुविधाएं जो लालडोरा क्षेत्र में उपलब्ध कराई जाती हैं, इनमें भी उपलब्ध कराई जायें।

सिफारिशों का सारांश

समिति निम्नलिखित सिफारिशें करती है -

1. कृषि योग्य भूमि के आबंटियों के उन सभी आबंटनों को,जिनके पास वास्तविक कब्जा है, को संक्षिप्त परिवर्तन (Summary Mutation) और राजस्व रिकॉर्डो में आवश्यक प्रविष्टि करने के बाद नियमित किया जाए ।

2. आवासीय प्लाटों के उन सभी आबंटियों को,जिनके पास वास्तविक कब्जा है और वे आपने दावे एक सदस्यीय समिति के सर्वेक्षण के दौरान मूल आबंटन आदेश/पट्टा /एल०आर०-37 से प्रमाणित कर चुके है, के आबंटनों को राजस्व रिकॉर्डो में आवश्यक प्रविष्टि करने के बाद नियमित किया जाए ।

3 समिति यह भी सिफारिश करती है कि जिन गाँवों में चकबन्दी प्रक्रिया चल रही है अथवा अपेक्षित है, वहां आबंटियों को उनके अधिकारों से वंचित नहीं किया जाए, चाहें उनकी प्रविष्टि राजस्व रिकॉर्डो में दर्ज हो या न हों ।

4 ततकालीन उपराज्यपाल, श्री जगमोहन के दिनांक 22/01/1983 के निर्देशों को ध्यान में रखते हुए 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत आवंटित भूमि का अधिग्रहण नहीं किया जाए । ऐसी परिस्थिति में जहॉं अधिग्रहण पहले हीं हो चुकी है या जहां अधिग्रहण करना अपरिहार्य है, सरकार यह सुनिश्चित करे कि जिम्मेवार एजेंसी वैकल्पिक कृषि भूमि/आवासीय प्लाट प्रदान करें या अधिग्रहित भूमि के बदले आबंटी को पर्याप्त आर्थिक क्षतिपूर्ति करे ।

5. विद्युत वितरण कम्पनियों को उन कालोनियों में विद्युतीकरण का कार्य शीघ्रता से पूरा करने को कहा जाये जहां अभी तक विद्युतीकरण नहीं हुआ है।

6. सभी मूल आबंटियों को विद्युतीकरण हेतु विकास शुल्क के भुगतान से मुक्त किया जाए ।

7. दिल्ली जल बोर्ड उन कालोनियों के सभी निवासियों को सुरक्षित पीने का पानी प्रदान करने का कार्य शीघ्रता से करे जहां 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत आवसीय उद्दश्यों से प्लाट आबंटित किए गए थे और पानी का कनैक्शन प्रदान करने हेतु असली आबंटियों पर विकास प्रभार नहीं लगाया जाए । मुख्य कार्यकारी अधिकारी व्यक्तिगत रूप से समय-समय पर प्रगति का निरीक्षण करें ।

8 क्योंकि 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत आवंटित भूमि/प्लॉट लाल डोरा का हिस्सा माना जाता है, इसलिए दिल्ली नगर निगम द्वारा सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति के साथ-साथ समस्त नागरिक सुविधाएं जो लालडोरा क्षेत्र में उपलब्ध कराई जाती हैं, इनमें भी उपलब्ध कराई जायें ।

समिति को संबंधित विभाग द्वारा कार्य पूर्ण होने तक, जो कि एक वर्ष की अवधि में पूरा हो जाना चाहिये, उपर्युक्त कार्यों के संबंध में प्राप्त की गई प्रगति पर मासिक कार्यवाही टिप्पणी (Action Taken Note) भेजी जाये ।

मुकेश शर्मा, विधायक
सभापति